सृजन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 8वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन योजना आरंभ की गयी थी । खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीव्यक्षम ग्रामोद्योग एककों को सहायता प्रदान करने हेतु एक सीमांत धन योजना भी आरंभ की है । इस योजना के तहत व्यक्ति विशेष के मामलों में 10 लाख रुपये तक की लागत वाले ग्रामोद्योग एककों की स्थापना हेतु 25% राजसहायता प्रदान की जाती है । जहां तक जनजातीय उद्यमियों का प्रश्न है, उसके लिए 5% अतिरिक्त सीमांत धन उपलब्ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्त, विशिष्ट पहाडी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से, केन्द्र सरकार द्वारा भी परिवहन राज सहायता योजना के तहत सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ।

ये सभी कार्यक्रम और योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से पूरी की जा रही है ।

सिगरेट और शराब के उत्पादन में विदेशी निवेश

832. **श्री शिब्बू सोरेन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सिगरेट और शराब के उत्पादन में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश हेतु छूट देने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्योग संघ (सी0आई0आई0) ने इस संबंध में कोई आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो की गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा इन आपत्तियों के संबंध में क्या निर्णय लिये जा रहे है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) एफ0आई0पी0वी0 द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों पर विचार करने के लिए, मौजूदा मार्गनिर्देशों में, सिगरेट तथा शराब सहित उपभोक्ता गैर-टिकाऊ (कंज्यूमर नान-डयूरेबल) क्षेत्र में विदेशी इक्विटी भागीदारी की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नही है ।

(ग) जी, नही ।

(घ) और (ड) प्रश्न नही उठते ।

Sick Public Sector Undertakings

833. SHRI GURUDASDAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Govenrment have decided to close down eight sick Public Sector Undertakings; and

(b) if so, the names and other details of these companies and the steps taken to pay the statutory dues to the employees of these companies;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL) : (a) and (b) Government has taken a decision to introduce a Separation Scheme by extending benefits of Voluntary Retirement Scheme (VRS) to employees of following unviable Public Sector Undertakings (PSUs) of the Department of Heavy Industry where Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)/Disinvestment Commission have at one stage or the other reached at the conclusion that these units were nonviable and expressed prima-facie/finai view regarding winding up.

S.No.	Name of the PSU -	No. of Employees
1.	National Instruments Ltd. (NIL)	863
2.	Bharat Opthalmic Glass Ltd. (BOGL)	472